

फर्द अहकाम

घासीराम वगै० बनाम कालूराम वगै०

क्रमा संख्या: 181 / 2023 5791

क्रमा संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
--------------	--------	----------------------	-------------

18.10.2023

वकील वादीगण ने दावा बाबत बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधिनियम एवं 111 एवं 128 भूमि राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 15/12/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर जिल्ला (सांगानेर)

नोटिस जारी  
53/675323  
2-11-23

15/11/23 पत्रावली पेश हुई। प्रो. साहब अन्य राज्य काउंट में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्ण पुरकार दिनांक 19/11/23 को पेश हों। 1

19/11/23 पत्रावली पेश हुई। प्रो. साहब अन्य राज्य काउंट में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्ण पुरकार दिनांक 14/12/23 को पेश हों।

14/12/23 पत्रावली पेश हुई। प्रो. साहब अन्य राज्य काउंट में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्ण पुरकार दिनांक 14/13/23 को पेश हों। 1

13/3/24 पत्रावली वकील गण की बीर से प्राप्त बाबत बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा के प्राप्ति पर होने पर तलब की गई। वादीगण के प्राप्ति पर स्थायी निषेधाज्ञा वकील गण का प्राप्ति स्वीकार कर वादीगण को बटवारा करने के अग्रगण्य जाता है। एवं वादीगण को बटवारा स्तर पर विना कतिपय के प्राप्ति पर स्थायी निषेधाज्ञा जाता है। पत्रावली केसल उभार दोपहर को सेकाट दो बटवारा तमोल प्राप्ति इफ्तार हो

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर जिल्ला (सांगानेर)



घासीराम  
Identified